न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 21/14 **निर्णय दिनांक 29.08.2018**

1. मघाराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी कतरियासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. राकेश पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी कतरियासर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. तोलाराम पुत्र हीराराम जाति सुथार निवासी कतरियासर तहसील व जिला बीकानेर।(फौत)
2. मुखराम पुत्र मघाराम जाति जाट
3. प्रभूराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट
4. आसूराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट
5. भवराराम पुत्र खूमाराम जाति कुम्हार
6. भगाराम पुत्र जोराराम मेघवाल

   निवासी कतरियासर तहसील व जिला बीकानेर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
दिनांक 31—03—2010

उपस्थितः—

1. श्री विनोद पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुनील भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 ता 6
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 31—03—2010 जिसके माध्यम से अदालत मातहत द्वारा विधि

विरूद्व तरीके से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम कतरियासर के खेत खसरा नम्बर पुराना 141 तादादी 54.11 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 279 तादादी 12.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 तादादी 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 तादादी 0.20 हेक्टर स्थित है। उक्त भूमि में से अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से पश्चिम की और 5.05 हेक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी। अपीलांट द्वारा अभिलेखों की नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि पुराना खसरा नम्बर 141 में से ही 0.20 हेक्टर भूमि के रास्ते को नये खसरा नम्बर 312 में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट की 0.09 हेक्टर भूमि भी कम कर दी गई है। जबकि अपीलांट की खातेदारी भूमि में से 0.20 हेक्टर भूमि का रास्ता कायम करने अथवा बनाने का क्षेत्राधिकार सेटलमेंट विभाग को प्राप्त नहीं था।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि पर खरीद के दिन से व पहले व बाद में कभी भी कोई रास्ता नहीं था, ना ही आज दिनांक तक केाई रास्ता है। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा तमाम कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गई है। ऐसी स्थिति में भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया रास्ते का अंकन विधि विरूद्व एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष तमाम तथ्य साबित किये थे। अदालत मातहत द्वारा मौके व रिकार्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से मंगवाई गई तथा उक्त आदेश की पालना पटवारी हल्का, नायब तहसीलदार व गिरदावर द्वारा मौका देखा गया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि मौके पर रास्ता करीब 20 वर्षो से बन्द पड़ा है क्योंकि उस पर टिब्बे होने के कारण आवागमन संभव नहीं है तथा इस रास्ते का संबंध आबादी से ना होकर ओरण से है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वर्तमान में जो रास्ता चालू है उससे कुछ व्यक्तियों को छोड़कर अन्य ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जो रास्ता चालू है वह खसरा नम्बर 357, 354, 1441/354, 1441/352 में चल रहा है जो आगे खसरा नम्बर 347 से 1250/346 में होते हुए खसरा नम्बर 312 में कटाणी रास्ता है उसमें मिल जाता है। इस प्रकार तहसील की रिपोर्ट से यह भलीभांति साबित है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि में से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रदान किया गया रास्ता विधि विरूद्व था जिसका अस्तित्व सेटलमेंट से पूर्व में नहीं था। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना को निस्तारण से पूर्व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया गया है। जबकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह बखूबी साबित है कि उक्त भूमि पर कोई रास्ता नहीं है तथा अपीलांट की खातेदारी भूमि सिंचित भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर धारा 251 आरटीए के प्रावधानों के तहत निर्णय पारित किया गया है। जिसका क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। प्रकरण में वादगत् भूमि के बाबत् मूल वाद अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है। जिसमें सभी पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण होना है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि जहॉ तक रास्ते के प्रकरण का प्रश्न है अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के संबंध में उनके समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसरण में आदेश पारित किया जाना चाहिए था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय उनके समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड, राजस्व अभिलेख के विपरीत मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 279 में से वर्षो वर्ष से पुराना कटानी रास्ता चालू है। जो आमजन के आवागमन के लिए काम में आता है। ग्राम कतरियासर से बीकुराना तलाई जाने वाला सार्वजनिक कटानी रास्ता जो खसरा नम्बर 356 व 367 के बीच से गुजरता है। जिस पर ग्रेवल सड़क के निर्माण के लिए जिला परिषद् बीकानेर ने दिनांक 30—03—2009 को स्वीकृति जारी की गई है। उक्त रास्ते को पेमाराम, सोहनलाल ने खसरा नम्बर 268 व 355 के मध्य गुजरने वाले रास्ते को मानसिंह आदि ने तथा खसरा नम्बर 279/1 व 346 के मध्य गुजरने वाले रास्ते को मघाराम ने बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त पूरा रास्ता वर्तमान में चालू है।

उन्होनें आगे बताया कि चालू रास्ते को इन काश्तकारों द्वारा बन्द कर देने से आम ग्रामवासियों को आवागमन हेतु परेशानी होने पर ग्राम वासियों ने रास्ता खुलवाने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिविर प्रभारी की हैसियत से तहसीलदार को जॉच कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया। संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित पक्षकारों का पक्ष सुनने के पश्चात् अपीलांट को कटानी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण का दोषी माना तथा उन पर तावान लागू किया गया तथा रास्ता खुलवाने के आदेश प्रदान किये गये। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत तमाम रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् यह पाया गया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा स्वीकृतशुदा कटान रास्ते को बन्द कर रखा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत स्वीकृतशुदा रास्ते के सुखाचार से वंचित नहीं किया जा स कता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा स्वीकृतशुदा कटाणी रास्ते को बन्द किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि ग्राम कतरियासर के खेत खसरा नम्बर पुराना 141 तादादी 54.11 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 279 तादादी 12.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 तादादी 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 तादादी 0.20 हेक्टर स्थित है। उक्त भूमि में से अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से पश्चिम की और 5.05 हेक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी। अपीलांट की खातेदारी भूमि पर खरीद के दिन से व पहले व बाद में कभी भी कोई रास्ता नहीं था, ना ही आज दिनांक तक कोई रास्ता है। भू—प्रबन्ध विभाग किया गया रास्ते का अंकन विधि विरूद्व एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है।

(3) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद के संबंध में संबंधित नायब तहसीलदार ग्राम कतरियासर के खसरा नम्बर 249, 346, 312 से संबंधित रिपोर्ट दिनांक 24—03—2011 को रिर्पोट प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि खसरा नम्बर 356, 355, 346 व 279/1 में से एक कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 312 जो रिकार्ड में दर्ज है, परन्तु मौके पर लोगों का इस रास्ते से आना जाना नहीं होता है। पूर्व में इस बन्द रास्ते को खुलवाया गया, परन्तु लोगों द्वारा वर्तमान में उक्त रास्ते में टीब्बे आदि होने से आवागमन के काम नहीं लिया जा रहा है।

मौके पर खसरा नम्बर 357, 354, 1442/354, 1441/352 कटानी रास्ता है जो आगे खसरा नम्बर 347 से 1250/346 से होते हुए कटानी रास्ता खसरा नम्बर 312 में मिल जाता है।

इसी प्रकार उक्त रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित है कि खसरा नम्बर 346 व 279/1 मघाराम पुत्र रामकरण व राकेश पुत्र कुम्भाराम की खातेदारी दर्ज है।

(4) उक्त रिपोर्ट से यह साबित है कि ग्राम वासियों को खसरा नम्बर 357, 354, 1442/354, 1441/352 कटानी रास्ता है जो आगे खसरा नम्बर 347 से 1250/346 से होते हुए कटानी रास्ता खसरा नम्बर 312 में मिल जाता है, आवागमन हेतु उपलब्ध है। अदालत मातहत द्वारा पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध होते हुए भी सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रदान किया गया रास्ता उनके क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया आदेश है।

(5) प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पक्षकारों के मध्य अदालत मातहत के समक्ष मूल दावा वर्तमान में जैरकार है जिसमें पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण होना है। ऐसी स्थिति में हम उचित पाते है कि अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद के निर्णय तक दोनों पक्ष वादगत् भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 31—03—2010 निरस्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि दोनों पक्ष अधिनस्थ न्यायालय में जैरकार वाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थित कायम रखें। अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष जैरकार वाद का निस्तारण दो माह में करना सुनिश्चित करावें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर